प्रेस नोट दिनांक 28.04.2025

थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

थाना बिथरी चैनपुर, बरेली पुलिस द्वारा लूट की झूठी सूचना देने वाले 01 अभियुक्त को गबन किये गये 1,21000 रूपये सहित किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 27.04.2025 को थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली पर मु0अ0सं0 210/2025 धारा 316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी श्री प्रशांन्त कुमार पुत्र सुभाष दिवाकर नि0 चांद खां बरेली द्वारा अपनी नमकीन फैक्ट्री से नमकीन की सप्लाई पिहानी जनपद हरदोई पिकअप UP25ET5105 से ड्राईवर रवीन्द्र पुत्र कृष्ण पाल नि0 ग्राम कचनारी थाना नवाबगंज जिला बरेली द्वारा भेजा गया था, जहाँ से माल की बिक्री के 1,21000 रुपये लेकर ड्राईवर रवीन्द्र वापस बरेली आया। जिसके द्वारा वादी मुकदमा के 1,21000 रुपये गबन करने के उद्देश्य से वादी को बिथरी चैनपुर पुल के पास दो अज्ञात बदमाशो ने मारपीट कर पैसे लूट लेने की सूचना दी गई। ड्राईवर रविन्द्र के द्वारा पुलिस को भी झूठी मनगढंत सूचना दी गई।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी बिथरी चैनपुर के नेतृत्व में थाना बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना का अनावरण करते हुये अभियुक्त रवीन्द्र पुत्र कृष्ण पाल नि0 ग्राम कचनारी थाना नवाबगंज जिला बरेली को मय गबन किये गये 1,21000 रुपये के साथ दि0 28.04.2025 समय 12.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रवीन्द्र पुत्र कृष्ण पाल नि0 ग्राम कचनारी थाना नवाबगंज जिला बरेली।

अपराधित इतिहास-

1. मु0अ0सं0 210/2025 धारा 316(2) बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली।

बरामदगी-

1. गबन के 1,21000 रुपये
2. एक पिकअप गाडी।

पुलिस टीम-

1. नि0 श्री अभिषेक कुमार प्रा0नि0 बिथरी चैनपुर, बरेली।
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
3. थाना 2979 राहुल कुमार बिथरी चैनपुर, बरेली।
4. थाना 3871विजिल मलिक बिथरी चैनपुर, बरेली।